



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16469

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3917 वर्ष 2025

राम मिलन यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मनोज कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार यादव, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना गया।
2. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम- आराजी देवराकरखिया (पकरिहवा, दक्षिण पूर्वा), तहसील- सगड़ी, जनपद- आजमगढ़ स्थित गाटा संख्या 5973, क्षेत्रफल 460 कड़ी, जो राजस्व अभिलेखों में ‘तालाब’ के रूप में दर्ज है, से अतिक्रमण हटाने हेतु उपयुक्त कार्यवाही करें।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता के दिनांक 18.1.2026 के प्रत्यावेदन का निर्णय करे।”
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड की प्रविष्टि को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे उक्त भूखण्ड का उसके अभिलेखीय स्वरूप के अनुसार संरक्षण एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।
4. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संबंधित ग्राम समेकन कार्यवाही के अधीन है; अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि संबंधित ग्राम अब भी समेकन कार्यवाही के अधीन है।
7. चूँकि संबंधित ग्राम समेकन कार्यवाही के अधीन है, अतः याचिका में की गई प्रार्थना के संबंध में प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।
8. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

रमीज़

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।